

प्रेस नोट

जनपद-संतकबीरनगर

दिनांक 05.09.2025

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए बुजुर्ग की में वॉछित 02 अभियुक्तगणों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक सन्तकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सन्तकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के कुशल मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्वदवन सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मेंहदावल ***श्री सतीश कुमार सिंह*** के नेतृत्व में थाना मेंहदावल पर पंजीकृत 246/2025 धारा 103(1)/191(2)/191(3)/115(2)/352/351(3)/125/190 बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्तगण 01.कैलाश पुत्र हरिलाल, 02. लक्ष्मण पुत्र हरिलाल निवासीगण अमरडोभा थाना मेंहदावल जनपद सन्त कबीर नगर को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया ।

विदित हो कि दिनांक 14.06.2025 को ग्राम सिकतौर माफी में दो पक्षों के मध्य आम तोड़ने की बात को लेकर झगड़ा व लाठी डण्डा तथा ईंट पत्थर से मारपीट हुई, जिसमें सन्तबली यादव पुत्र सरजू यादव उम्र करीब 75 वर्ष की मृत्यु हो गयी तथा मृतक के पुत्र भगवानदास व नाती दुर्गेश को चोटें आयी थी । वादी दुर्गेश यादव पुत्र भगवान दास निवासी सिकतौर माफी थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर की तहरीर के आधार पर थाना मेंहदावल पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिनांक 15.06.2025 को 05 अभियुक्तगण नाम पता 01.श्यामधर मौर्य पुत्र राम जंजाली, 02.सुदर्शन पुत्र रामदवन निषाद, 03.रोहित निषाद पुत्र नेबूलाल, 04.सोहित उर्फ छोटू निषाद पुत्र नेबूलाल, 05.दीपक निषाद पुत्र दयाराम निवासीगण अमरडोभा थाना मेंहदावल जनपद सन्तकबीरनगर अभियुक्तों को 24 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया था, दिनांक 18.07.2025 को घटना में संलिप्त अन्य अभियुक्त श्याम मोहन पुत्र श्रीराम सागर निवासी अमरडोभा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा गया व दिनांक 06.08.2025 को घटना में संलिप्त 01 अन्य अभियुक्त बादल निषाद पुत्र लक्ष्मण निषाद निवासी अमरडोभा थाना मेंहदावल जनपद सन्तकबीरनगर व 01 बाल अपचारी को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया था ।

गिरफ्तारी के क्रम में 01.कैलाश पुत्र हरिलाल, 02. लक्ष्मण पुत्र हरिलाल उपरोक्त को आज दिनांक 05.09.2025 को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगणों का विवरण:-

01.कैलाश पुत्र हरिलाल निवासी अमरडोभा थाना मेंहदावल जनपद सन्त कबीर नगर ।

02. लक्ष्मण पुत्र हरिलाल निवासी अमरडोभा थाना मेंहदावल जनपद सन्त कबीर नगर ।

गिरफ्तारी टीम का विवरण:-

प्र0नि0 थाना मेंहदावल श्री सतीश कुमार सिंह, व0उ0नि0 श्री हरिनारायण दीक्षित, कां0 दीपक कुमार सिंह, कां0 अंकेश यादव ।

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में - ***थाना को0 खलीलाबाद पुलिस द्वारा*** 01 वारण्टी नाम पता बकरीदी पुत्र समीउल्लाह निवासी गोला बाजार मुखलिसपुर रोड थाना को0 खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री राकेश कुमार, का0 विनोद कुमार।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 05 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 148 वाहनों से 1,47,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 05.09.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 148 वाहनों से 1,47,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।